यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ के मार्च 2018 से फरवरी 2019 तक के लेखा अभिलेखो की जांच श्री भानु प्रताप सिंह , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं अनूप चौहान , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05.03.2019 से 11.03.2019 तक श्री ए. सी. कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित किया गया।

भाग-1

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रविशंकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री खुशिराम वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 19.03.2018 से 22.03.2018 तक श्री दानिश इकबाल ,वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी जिसमें माह 01/2017 से 02/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2018 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कार्यालय के अंतर्गत राष्ट्रिय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं एवं शिशूओं की देखभाल की जाति है। इकाई द्वारा जनपद के अन्तर्गत इसका भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण नैनीताल पिथौरागढ़ है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत /आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2016-17	-	-	284.30	264.27	20.03	-	-	-
2017-18	-	-	380.77	361.08	19.69	-	-	-
2018-19 (up to 02/2019)	-	-	362.55	336.70	25.85	-	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

योजना का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
एनएचएम	122.20	103.90	108.71	85.25	117.75	78.13

(iii) इकाई को बजट आवंटन भारत सरकार एवं निदेशक समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई (स) श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

सचिव,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ⟶ महानिदेशक चिकत्सा स्वास्थ एवं परिवार कल्याण देहारादून ⟶ मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़⟶ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महिला चिकित्सालय

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। योजनाओं का चयन किये गए व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (DPC Act, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ₹ 0.52 लाख की धनराशि व्यय किए जाने के बावजूद 'जिला महिला चिकित्सालय पीथोरागढ़ स्तर पर जन्म लेने वाले सभी बच्चों को तीन अतिआवश्यक जीवन रक्षक टीके न दिये जाना।

कार्यालय ज़िला महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि ज़िला महिला चिकित्सालय स्तर पर वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की अवधि में जन्म लेने वाले सभी नवजात बच्चों को जन्म के समय दिये जाने वाले तीन अतिआवश्यक टीके (बी सी जी, ओ पी वी (जीरो डोज़) एवं हेपीटाइटिस-बी) नहीं दिये जा रहे थे। जिसका विवरण निम्नानुसार है

Table-1

Sl. No.	**Components**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
1	Number of deliveries conducted at female hospital	2907	3128	2851
2	Number of male live births at female hospital	1543	1665	1505
3	Number of female live births at female hospital	1298	1403	1303
4	Total no. of male and female live births at female hospital	2841	3068	2808
5	Total no. of still birth at female hospital	66	60	43

Table-2

Sl. No.	**Name of the Programme/ Component**	**2016-17**		**2017-18**		**2018-19**	
		No. of newly born infants	**No. of infants administered vaccines**	**No. of newly born infants**	**No. of infants administered vaccines**	**No. of newly born infants**	**No. of infants administered vaccines**
1	**B C G**		Entries		Entries related		Entries related to

			related to vaccination of three vaccines to newly born infants not done in delivery register.		to vaccination of three vaccines to newly born infants not done in delivery register.		vaccination of three vaccines to newly born infants not done in delivery register.
2	**OPV (0 dose)**	2841		3068		2808	
3	**Hep-B (Birth dose)**						

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ज़िला महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ स्तर पर वर्ष 2016-17 से 2018-19 (जनवरी 19) तक की अवधि में जन्म लेने वाले 8717 नवजात शिशु पैदा हुए परंतु कार्यालय स्तर पर उक्त बच्चों को जन्म के समय दिये जाने वाले अतिआवश्यक टीकों जैसे बी सी जी, ओ पी वी (जीरो डोज़) एवं हेपीटाइटिस-बी के टीके दिये जाने के संबंध में अभिलेखों का रख-रखाव न किए जाने के कारण चिकित्सालय स्तर पर यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका था कि उक्त नवजात शिशुओं को उक्त जीवन रक्षक टीके दिये भी गए अथवा नहीं। जबकि उक्त अवधि में चिकित्सालय स्तर पर राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ₹ 0.52 लाख की धनराशि व्यय की गई।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि चिकित्सालय स्तर पर जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं को दिये जाने वाले जीवन रक्षक तीन टीको को दिये जाने के संबंध में अभिलेखो का रखरखाव न किए जाने के कारण यह सुनिश्चित किया जाना कि चिकित्सालय स्तर पर विगत तीन वर्षों में जन्म लेने वाले कितने बच्चों को उक्त वैक्सीन दी गयी संभव नही हो पा रहा । परंतु लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात भविष्य में सभी नवजात शिशुओं को बी सी जी की खुराक दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा एवं अन्य दो टीके भी शत-प्रतिशत बच्चों को दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि इकाई स्तर पर नवजात शिशुओं को अतिआवश्यक जीवन रक्षक टीके दिये जाने के बजाय टीकों को खराब होने से बचाने को प्राथमिकता दी गई जो कहीं से भी औचित्यपूर्ण नहीं है।

अतः राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ₹ 0.52 लाख की धनराशि व्यय किए जाने के बावजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, धारचूला स्तर पर 2016-19 के अवधि में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को तीन अतिआवश्यक जीवन रक्षक टीके न दिये जाने संबंधी प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:-2- 1149 लाभार्थियों को रुपये 15.51 लाख का भुगतान लंबित रहना।

जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ 2005-06 में हुआ था जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना था जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु की दर को कम किया जा सके। जननी सुरक्षा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रसव की संभावित तिथि के 16 से 20 सप्ताह पूर्व जे0एस0वाई0 कार्ड भरा जाना चाहिए, प्रसव की संभावित तिथि से पूर्व पूर्ण भरे हुए जे0एस0वाई0 कार्ड स्वास्थ केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए साथ ही प्रसव के सात दिन पूर्व अथवा प्रसव के दिन तक लाभार्थी को रू 1400/- भुगतान किया जाना चाहिए इसके बाद किया गया भुगतान अवैध माना जायेगा।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ के वर्ष 2018-19 से जननी सुरक्षा योजना से संबंधित लेखा अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि

वर्ष	**ग्रामीण प्रसव**	**शहरी प्रसव**	**ग्रामीण प्रसवों हेतु प्रदान की गयी धनराशि (1400@प्रति प्रसव)**	**ग्रामीण प्रसवों हेतु लंबित भुगतान की धनराशि (1400@प्रति प्रसव)**	**शहरी प्रसवों हेतु प्रदान की गयी धनराशि (1000@प्रति प्रसव)**	**शहरी प्रसवों हेतु लंबित भुगतान की धनराशि (1000@प्रति प्रसव)**
2018-19	2197	452	1193	1004	307	145
			1670200	1405600	307000	145000

उपरोक्त विवरण के अनुसार कार्यालय के अंतर्गत कुल 2697 प्रसव हुए (2197 ग्रामीण एवं 452 शहरी) जिनके अंतर्गत कुल 1500 प्रसवो का रुपये 1977200 का भुगतान किया गया था जबकि 1149 (1004 ग्रामीण एवं 145 शहरी) प्रसवो का भुगतान रुपये 1550600(1405600 ग्रामीण एवं 145000) लंबित था। आगे लेखा परीक्षा द्वारा जननी सुरक्षा योजना के अभिलेखो के अवलोकन में पाया गया कि जो भुगतान भी लाभार्थियों को किया गया है वो भी विलंब से किया गया था तथा अनियमित था।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि संबन्धित लाभार्थियों के खाते न खुले होने के कारण उनके खाते में धनराशि अंतर्गत करने में विलंब हुआ।

इकाई का उत्तर मान्य नही था, क्योकि आशाओं को प्रोत्साहन राशी इसी हेतु प्रदान की जाती है।अतः 1149 लाभार्थियों को रुपये 15.51 लाख का भुगतान लंबित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:-3 रुपये 15.77 लाख की स्थानीय क्रय की गयी दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित न किया जाना।

शासनादेश सं0 1284/XXVII-5/2008-24/2003 दिनाँक 28 अक्टूबर 2009 एवं 932/XXVIII-4-2014-28(8)/2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 के बिन्दु सं0 18 के अनुसार एक बार में क्रय की गई प्रत्येक औषधि के 20 प्रतिशत दवाओं का रैण्डम नमूने लेकर उनका अधिकृत, ख्याति प्राप्त संस्थाओं से विश्लेषण कराया जाना चाहिए ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। शासन द्वारा औषधियों के नमूनों की जाँच हेतु अनुमोदित जाँचकर्ता फर्मों के पैनल से इस हेतु निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुरुप जाँच कराई जाए। यह प्रक्रिया क्रय की गई औषधि के 01-02 माह के भीतर सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त बिन्दु सं0 11 के अनुसार प्रत्येक फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए एवं बिन्दु सं0 31 के अनुसार जिन औषधियों का रैंडम सैम्पल लिया गया है उससे सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म को 90 प्रतिशत औषधि मूल्य का भुगतान औषधि की मात्रा सुरक्षित गन्तव्य स्थल तक पहुचने के 30 दिन के भीतर कर दिया जाना होगा एवं शेष 10 प्रतिशत धनराशि का भुगतान औषधि की गुणवत्ता सम्बन्धी जाँच आख्या प्राप्त होने के बाद 30 दिन के अन्दर किया जायेगा।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ द्वारा स्थानीय क्रय के माध्यम से वर्ष 2018-19 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत रुपये 15.33 लाख एवं डायगनोस्टिक के अंतर्गत रुपये 0.44 लाख कुल 15.77 लाख की दवाओं खरीदी गयी लेकिन उक्त खरीदी गयी दवाओं की नमूना जांच नही की गयी जिससे खरीदी गयी दवाओं की गुणवता सुनिश्चित नही की जा सकी ।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि औषधियों का स्थानीय क्रय आकस्मिक आवश्यकता होंने पर ही क्रय की जाती है तथा शीघ्र ही उसका वितरण किया जाना होता है ऐसी परिस्थितियों दवाओं की नमूना जांच कराया जाना संभव नही हो पाता। इकाई का उत्तर मान्य नही था, क्योकि शासनादेश के अनुसार स्थानीय क्रय की गयी दवाओं की नमूना जांच की जानी चाहिए।

अतः रुपये 15.77 लाख की स्थानीय क्रय की गयी दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत लेखापरीक्षा के अनिस्तारित पस्तरों का विवरण निम्नवत है:

क्रमांक	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	भाग दो (अ)	भाग दो (ब)	पूरक नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी
1	91/2005-06	शून्य	01	1, 2
2	146/2014-15	शून्य	01	-
3	132/2016-17	शून्य	1,2	1,2
4	223/2017-18	शून्य	1,2,3,4,5	1
योग		शून्य	09	05

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में इकाई द्वारा बताया गया कि अनुपालन आख्या महानिदेशालय को प्रेषित कर दी गयी है उनके संस्तुति के उपरांत उचित माध्यम से कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित की जायेगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु तथा उनके कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम संख्या	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	डा० निर्मला पुनेठा	जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़	09/18 तक
2.	डा० जयरामसिंह नवियाल	जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़	10/18 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार (सामाजकि क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकर भवन, कौलगढ़, देहरादून** को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.